## भाजपाकेशासनमेंअंग्रेजोंसेज्यादाअत्याचार, इसकीनीति 'मारोऔरराजकरो' की: अखिलेशयादव

https://www.prabhasakshi.com/national/bjp-rule-atrocity-than-british-its-policy-is-kill-and-rule-akhilesh-yadav

झांसी (उप्र)।समाजवादीपार्टी (सपा) केअध्यक्षअखिलेशयादवनेशुक्रवारकोआरोपलगायाकिभाजपाकीनीति "मारोऔरराजकरो' ' कीहैतथाइसनेअत्याचारकेमामलेमेंअंग्रेजोंकोभीपीछेछोड़िदयाहै। बुंदेलखंडक्षेत्रकेती निदनकेदौरेपरआएयादवनेकहािकभाजपाकेशासनमेंसमाजकाहरतबकापरेशानहै। उन्होंनेयहांएकसंवाददा तासम्मेलनमेंकहा,

"इससरकारनेअत्याचारोंकेमामलेमेंअंग्रेजोंकोभीपीछेछोड़िदयाहै।सरकारकाविरोधकरनेपरिकसानोंकोवाह नोंसेकुचलिदयाजाताहैऔरइसमामलेमेंअबतककोईठोसकार्रवाईनहींकीगईहै।विरोधकरनेवालोंकोजेलमेंडा लाजारहाहै।

इनकी (भाजपाकी) नीतिमारोऔरराजकरोकीहै।'' उत्तरप्रदेशकेपूर्वमुख्यमंत्रीनेकहा, "इससरकारमेंफर्जीएनकाउंटरकीबाढ़आगईहै।**इसमामलेमेंएनएचआरसी (राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग)** सेसबसेअधिकनोटिसतकभाजपाकोमिलेहैं।जोमुख्यमंत्रीअपनेस्वयंकेमुकदमेभीखुदहीवापसलेलेतेहैं, उनसेआशाहीक्याकीजासकतीहै।'' सपाप्रमुखराज्यमेंअगलेसालकेशुरूमेंहोनेवालेविधानसभाचुनावसेपह लेअपने

"समाजवादीविजयरथ' ं केसाथउत्तरप्रदेशकादौराकररहेहैं।उन्होंनेआरोपलगायािकभाजपाकेशासनमेंस माजकाहरवर्गपरेशानहैऔरयिदकोईसरकारकेखिलाफआवाजउठाताहैतोउसेजेलभेजिदयाजाताहै।यादवने कहािकयहांिपछलेचुनावमेंबुंदेलखंडकीजनतानेभाजपाकोअपनापूरासमर्थनिदयाथा, फिरभीआजजनताकेहाथखालीहैंऔरक्षेत्रकीखुशहालीकेलिएसरकारनेकोईभीठोसकदमनहींउठाया।

उन्होंनेकहाकिअबबुंदेलखंडकीजनताइनकेझांसेकोसमझगईहैऔरअबउसनेबुंदेलखंडसेभारतीयजनतापार्टी (भाजपा) कोखालीहाथभेजनेकामनबनालियाहै।यादवनेकहाकिउनकी

"विजयरथ'' यात्राकोलोगोंसेपूरासमर्थनमिलरहाहै।सपाप्रमुखनेकहाकियहवहीसीमावर्तीइलाकाहैजहांलॉ कडाउनकेसमयगरीबमजदूर-किसानवसाधारणजनतानेभूखे-

प्यासेरहकरपुलिसकीलाठियांखायीथींऔरअंतमेंपरेशानहोकरलोगअवरोधकतोड़करअपनेघरजासकेथे।उन्हों नेकहािकऐसेसमयसरकारनेइनगरीबोंकोअसहायछोड़िदयाथाऔरउसदौरमेंभीसमाजवािदयोंनेऐसेदुखीपिर वारोंकोएक-

एकलाखरुपयेकीसहायतादीथी।यादवनेआरोपलगायाकिभाजपानेअपनेदमपरकुछभीठोसकरनेकेबजाय, पिछलीसरकारकेदौरानशुरूकीगईंपरियोजनाओंऔरकार्योंकेनामबदलनेपरध्यानदियाहै।

उन्होंनेकहा, दुनियाकीसबसेअच्छी (अपराध) प्रतिक्रियाप्रणालीडायल 100 कोडायल 112 मेंबदलनेकेबाद, भाजपानेइसेबर्बादकरिया।इसनेबिजलीबिलबढ़ाकरलोगोंकोझटकादियाहै।सपाप्रमुखनेकहा, इससरकारनेभ्रष्टाचारऔरअपराधकेसारेरिकॉर्डतोड़िदएहैं... टीईटी (शिक्षकपात्रतापरीक्षा) केपेपरलीकमामलेकामुख्यआरोपीमुख्यमंत्रीकेक्षेत्रकाहैऔरइसकीजांचहोनीचाहिए।उन्होंनेकहािकअबउत्तर

#### PRABHASAKSHI, Online, 5.12.2021

Page No. 0, Size:(18.28)cms X (23.87)cms.

प्रदेशकीजनतानेभाजपाकोहटानेऔरसपाकोसत्तासौंपनेकामनबनालियाहै।संवाददातासम्मेलनकेदौरानभाज पाकेपूर्वविधायकसतीशजटारियाऔरकांग्रेसनेताविजयवर्मासपामेंशामिलहोगए।बादमें, सपाप्रमुखनेझांसी-कानपुरमार्गस्थितबड़ागांव, चिरगांवऔरमौठमेंजनसभाओंकोसंबोधितिकया।

# मुजफ्फरपुर मामले में NHRC ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंख गंवाने की खबरों पर बिहार सरकार को भेजा नोटिस

https://thebegusarai.in/bihar/nhrc-sends-notice-to-bihar-government-on-reports-of-patients-losing-their-eyes-after-cataract-operation/

बिहार में इन दिनों एक खबर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है ,मामला है मुजफ्फरपुर का जहाँ पर इस जिले के एक अस्पताल में हाल ही में आयोजित एक नि: शुल्क शिविर में मोतियाबिंद की कथित सर्जरी को लेकर बवाल की स्थिति बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 15 रोगियों की ऑपरेशन की गई जिसके बाद मोतियाबिंद रोगियों की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। अब इस मामले को लेकर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा है जहां पर ,NHRC ने कहा कि उसने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है कि "22 नवंबर को मुजफ्फरपुर नेत्र अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के कारण श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) में छह मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी थीं।

सर्जरी के बाद संक्रमण के कारण डॉक्टरों को अधिक रोगियों की आंखें निकालने की आवश्यकता हो सकती है। NHRC के पत्र में कहा गया है की 'एक मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक एक डॉक्टर 12 सर्जरी तक कर सकता है। लेकिन इस मामले में डॉक्टर ने 65 मरीजों की सर्जरी की।'NHRC ने पाया कि इस तरह के "चिकित्सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लापरवाह तरीके से" आंखों की सर्जरी करना "चिंता का गंभीर मामला" है।

एनएचआरसी के बयान में कहा गया है कि पैनल ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर मामलों में, "मरीजों का कॉर्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और इस बात की संभावना है कि संक्रमण उनके दिमाग तक पहुंच सकता है।"

"छह मरीजों की हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल के अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की और जांच होने तक जिला प्रशासन या राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सूचित नहीं किया।इस घटना के सामने आने के बाद से बिहार के स्वास्थ्य सुविधा पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं और मानवाधिकार आयोग के संज्ञान के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद है।

## यूपीकेसभीथानोंमेंलगेंगेसीसीटीवीकैमरे, हवालाततककीभीहोगीनिगरानी!

https://royalbulletin.in/uttar-pradesh/cctv-cameras-will-be-installed-in-all-the-police-stations-o/cid5904840.htm

लखनऊ

पुलिसहिरासतमेंकैदियोंकीप्रताड़नारोकनेकेलियेउच्चतमन्यायालयकेदिशानिर्देशोंकापालनकरतेहुयेउत्तरप्रदे शकेहरथानेकोअबसीसीटीवीकैमरेकीनिगरानीमेंरखाजायेगा।

उत्तरप्रदेशसरकारनेइसकेतहतहरपुलिसथानेमेंकैमरेलगानेकेलिए 300 करोड़रुपयेकेबजटकोमंजूरीदेदीहै।मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथकीअध्यक्षतामेंगुरुवारकोहुयीमंत्रिमंडलकीबैठ कमेंयहफैसलाकियागया।

पिछलेदिनोंशीर्षअदालतनेगिरफ्तारकरनेऔरपूछताछकरनेकेलियेकानूनीतौरपरअधिकृतपुलिसएवंअन्यजांच एजेंसियोंकेकार्यालयोंमेंसीसीटीवीकैमरेलगानेकाआदेशदियाथा।इसकेबादउत्तरप्रदेशकेहरपुलिसथानेमें 12 से 16 सीसीटीवीकैमरेलगवानेकानिर्णयलियागयाहै।

अदालतनेसभीराज्यों औरकेंद्रशासितप्रदेशों को यह सुनिश्चितकर ने को कहा था कि प्रत्येक था ने के मुख्यप्रवेश द्वार, प्रवेश और निकासस्थान, स्वागतक क्ष , हवालात, सभी गिलयारों और लॉबी को सीसीटी वीकै मरेसे लैस किया जाये। साथ ही सीसीटी वीप्रणाली में नाइट विजन सुविधा के साथ ही ऑडियो और वीडियो की फुटे जिरकॉर्ड कर ने की व्यवस्था कर ने का आदेश अदालत ने दिया था।

मानवाधिकारकार्यकर्ताडॉक्टरआलोकचांटियानेबतायाकि,

"आयेदिनहिरासतमेंकैदियोंकेशोषणकीबातसामनेआतीथी।पुलिसहिरासतमेंप्रताड़नाकीबातेंआमहोगयीथीं।ऐ सेमेंइसनिर्णयकेबादउम्मीदहैकिहिरासतकेदौरानपुलिसप्रताड़नानहींहोसकेगी।

गौरतलबहैकिहालहीकेदिनोंमेंउत्तरप्रदेशकेचारअलग
अलगजिलोंमेंहिरासतमेंमौतकेमामलेसामनेआनेपरविपक्षीदलइसकाजमकरविरोधकररहेहैं।पुलिसऔरन्याय
िकहिरासतमेंमौतकेबारेमेंसंसदकेग्रीष्मकालीनसत्रमेंलोकसभामेंपूछेगयेसवालकेजवाबमेंकेंद्रीयगृहराज्यमं
त्रीनित्यानंदरायने27 जुलाईकोराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (एनएचआरसी)
केआंकडेपेशिकयेथे।इनकेमुताबिक, पुलिसहिरासतमेंमौतकेमामलोंमेंउत्तरप्रदेशपहलेनंबरपरहै।

उत्तरप्रदेशमेंपिछलेतीनसालमें 1,318 लोगोंकीपुलिसऔरन्यायिकहिरासतमेंमौतहुईहै।आयोगकेआंकड़ेबतातेहैंकिउत्तरप्रदेशमें 2018-19 मेंपुलिसहिरासतमें 12 औरन्यायिकहिरासतमें 452 लोगोंकीमौतहुई।इसीतरह 2019-20 मेंपुलिसहिरासतमेंतीनऔरन्यायिकहिरासतमें 400 एवं 2020-21 मेंपुलिसहिरासतमेंआठऔरन्यायिकहिरासतमें 443 लोगोंकीमौतहुई।

#### ROYAL BULLETIN, Online, 5.12.2021

Page No. 0, Size:(18.19)cms X (22.73)cms.

इसमामलेपरउत्तरप्रदेशकेपूर्वडीजीपीमहेशचंद्रद्विवेदीनेबतायाकिपुलिसथानोंमेंप्रताड़नारोकनेकेलियेथानोंको सीसीटीवीकैमरोंसेलैसकरनेकानिर्णयअच्छाहै।उन्होंनेकहाकिइससेपुलिसपरप्रताड़नाकेआरोपोंमेंकमीआएगी औरपुलिसभीमानवीयआधारपरकानूनकेहिसाबसेकामकरेगी।

हालांकिउन्होंनेमानाकिकभीकभीहालातऐसेबनजातेहैं, जैसेकिसीआतंकवादीयाजघन्यअपराधकरनेवालेकैदियोंसेसामान्यपूछताछकरनाकठिनहोताहैक्योंकिवहसटी कजवाबनहींदेताहै।ऐसेमेंकड़ाईसेपेशआनापड़ताहै।उन्होंनेकहाकिपुलिसहिरासतमेंलियेगयेहरव्यक्तिकेसाथ

सख्तीसेपेशनहींआतीहै।

#### Rule of law undermined by rule of gun

#### https://kashmirreader.com/2021/12/05/rule-of-law-undermined-by-rule-of-gun/

Justice Brande of United States has rightly said, "Government is the most potent and omnipresent teacher that teaches the whole people by its example", If the government itself becomes law breaker, it invites every man to became a law unto himself.

Recent encounters in Kashmir, Uttar Pradesh, and Assam have outraged many people and human rights activists, who call them fake encounters and extra judicial killings. The NHRC registered 1,782 fake encounter cases between 2000-2017, with UP alone accounting for 44.55% of them. The inquiry commission constituted by the Supreme Court on December 12, 2019, to look into the Hyderabad encounter of 2019 continues its public hearings in Hyderabad. Custodial crimes, inhuman treatment of accused by police during investigation, crude methods of investigation, abuse of power, apathy of police towards prisoners and violation of human rights during search operations are all examples of acting beyond the law.

Extra judicial killings, often referred to as encounters by the police or armed forces, allow the police or armed forces to assume the role of both investigator and judge. There have been many reports of encounter killings in Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Kashmir, and other states. The common man is highly unsatisfied with the long delays in the justice delivery process. Very often, the accused are not convicted due to lack of evidence, and so encounters get public support. Many see encounter killings as a means of ensuring speedy justice. However, if those killed in encounters are innocent, and if the authorities start misusing their power, then rule of law, which is the fundamental principle of governance of any civilised liberal democracy, collapses.

Do police have the right to take lives? The police can injure or kill the criminal for the sole purpose of self defence, peace and order. Although there is no provision in Indian law that directly authorises the encounter of a criminal, under Section 96 of IPC every human being has the right to self-defence, which is a natural and an inherent right. Section100 of IPC, Section 46 of CrPC lays down provisions with regard to investigations in extra-judicial killings and homicide. The police personnel will be charged under Section 299 of IPC for culpable homicide, and compensation will be granted to the kin of the deceased. The Supreme Court has laid down guidelines such as recording of tip-offs: when police receive any intelligence or tip-off regarding criminal activities, it must be recorded either in writing or electronic form, followed by registering of FIR, independent probe, informing the NHRC, and sending report to court after full investigation.

#### KASMIR READER, Online, 5.12.2021

Page No. 0, Size:(17.90)cms X (22.61)cms.

Mahatma Gandhi had said, "An eye for eye makes the world blind." Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Killings do not end crime in a society. Unless it is for self-defence, all extra-judicial killings are unacceptable in a society based on rule of law. 'The rule by gun' should not be preferred to the rule of law. Every human being, including the criminal, is entitled to basic human rights and due process. The need of the hour is to rebuild the lost trust in the justice delivery mechanisms in the country and fast-track the process.

## Important to promote Hindi: NHRC Chairperson

Justice Arun Mishra, Chairperson, National Human Rights Commission, NHRC, India said that the Hindi language and literature have played an important role in the freedom struggle of the country. However, it is time to introspect where we are heading in terms of



keeping alive our culture through our languages after seventy-five years of our Independence. He was addressing a function organized on November 25 to present awards to the 35 winners of various competitions held during Hindi fortnight for the officers and staff of the Commission to encourage them to work in the official language. The NHRC Members, Justice M.M. Kumar, Jyotika Kalra, Dr. D.M. Mulay, Rajiv Jain and Secretary General Bimbadhar Pradhan also addressed the gathering and encouraged them to work and promote Hindi language. Senior officers and staff of the Commission were present.